(क) बलात्कार-अपराधों तथा आर्थिक कठिनाईयों के कारण पढ़ी-लिखी लड़कियों द्वारा कॉल-गर्ल का पेशा अपनाने के संबंध में महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक शहरों तथा गांवों में वेश्या-वृत्ति का धंधा चल रहा है और यह कि महिलाओं को बलपूर्वक वेश्या बनाने के लिए मजबूर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठा रही है तथा इसे समाप्त करने के लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) क्या कतिपय समुदायों में माता-पिता परम्परागत रीति से अपनी बेटियों को वेश्या बनने की अनुमति देते हैं और पूरा परिवार उसकी आय पर निर्भर करता है, जैसा कि गुजरात और राजस्थान के कुछ गांवों में यह प्रचलित है, और

(ङ) क्या सरकार इस प्रथा को समाप्त करने हेतु किसी विशेष योजना के माध्यम से कोई विशेष प्रयास कर रही है, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (ग) महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराधों, जिनमें बलात्संग और वेश्यावृत्ति भी शामिल है, के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860, अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबंधों सहित अनेक विधान हैं। समाज में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए 1956 में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को और अधिक कड़ा और कारगर बनाने के लिए इसमें 1978 और 1986 में संशोधन किए गए। यह अधिनियम, महिलाओं और लड़कियों के अपहरण, बिक्री और अवैध बन्दीकरण के खिलाफ बनाए गए स्थाई नियमों का पूरक है। इन विधानों के कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों का है। उन्हें समय-समय पर कहा गया है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

भारत सरकार ने महिलाओं के दर्जे में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं और किशोर लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन उपायो में जागृति विकास, प्रशिक्षण, बचत, ऋण सुविधाएं तथा अन्य रोजगार उत्पादक कार्यक्रम शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महिलाओं का वेद-पाठ संबंधी अधिकार

3385. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने महिलाओं को वेद-पाठ के अधिकारों से वंचित करने के संबंध में कुछ पत्रों में हाल ही में टिप्पणी की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) जी, हां। इस प्रकार की समाचार रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आई हैं।

(ख) सरकार इस प्रकार के तथाकथित बयानों का समर्थन नहीं करती तथा इनका विरोध करती है। अन्य उपायों के साथ-साथ सरकार की यह नीति है कि कार्य तथा समर्थन की पद्धति से जिसका उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना, समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराना, जागृति विकास, प्रशासकों और नीति निर्माताओं को सचेत करना तथा निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना है, समाज में महिलाओं तथा बालिकाओं दोनों की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करके दृष्टिकोणात्मक परिवर्तन लाए जाएं।

गांवों में विद्यालयों का खोला जाना

3386. **श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1644 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी गांवों में एक किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर विद्यालय न होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के सभी गांवों में शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, वर्तमान बजट में कोई प्रावधान किए हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1994-95 के दौरान कितने गांवों में, विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तथा उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रथम कक्षा से सातवीं कक्षा तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है और वे ही किसी बस्ती अथवा कम से कम एक किलोमीटर दूरी के भीतर स्कूली सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले मानदण्डों के अनुसार जहां कहीं भी जरूरत होती है, प्राथमिक स्कूल अथवा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए अपनी वार्षिक आवश्यकताएं तैयार करती हैं तथा राज्य योजनाओं में तत्संबंधी प्रावधान करती हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कराए गए पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1986) के अनुसार 94.5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर प्राथमिक स्कूल की सुविधा है। शेष जनसंख्या के लिए निम्नलिखित कारणों जिनमें छात्रों की अपर्याप्त संख्या, अथवा अपर्याप्त भौतिक सुविधाओं, दुर्गम अथवा दूर-दराज आदि जैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध न कराई जा सकी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह सिफारिश की गई है कि ऐसे क्षेत्रों को अनौपचारिक शिक्षा, स्वैच्छिक स्कूलों, शिक्षा कर्मी आदि जैसी वैकल्पिक योजनाओं के अन्तर्गत शामिल किया जाए।

(घ) और (ङ) पूरे देश में सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।

महिलाओं पर अत्याचार

3387. **श्रीमती उर्मिला चिमन भाई पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :